

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मामूर हुसैन

विपक्षी : राजस्थान राज्य

किस्म मुकदमा - 131 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 31/21

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्श्व तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|--|---|
| | <p>दिनांक 27.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प लदानी में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार तरमीम किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1636/1604 रकबा 2 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता अनवर पिता इमाम शाह को दिनांक 03.06.83 को आवंटन हुई थी। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में गलत तरमीम हो चुकी हैं, जिसे आवंटन आदेश में संलग्न नक्शों अनुसार तरमीम किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1636/1604 को डीआईएलआरएमपी के दौरान गलत तरमीम कर दी गई हैं। जिसे मौके पर कब्जे एवं आवंटन के वक्त संलग्न नक्शों अनुसार शुद्ध तरमीम प्रस्तावित कर प्रस्तावित नक्शों अनुसार तरमीम किये जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। चूंकि आवंटन पत्रावली 1976/83 में अनवर शाह को आवंटन के वक्त नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया उसमें एवं वर्तमान तरमीम में भिन्नता हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में उक्त त्रुटि को सही करने हेतु प्रस्तावित नक्शा पेश किया हैं। अतः तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर एवं आवंटन के वक्त पत्रावली के साथ संलग्न नक्शों के आधार पर प्रार्थी के आराजीयात को सही तरमीम किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा वासनीखुर्द पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 1636/1604 भूमि को राजस्व नक्शों में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित तरमीम अनुसार नक्शों में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शों अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p> | |

